प्रेस नोट

दिनांक 29.07.2021

बीड़ी-सिगरेट के पैसे(20 रूपये) को लेकर हुए विवाद में हुई निसार अहमद की हत्या का थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा खुलासा, घटना में संलिप्त 04 हत्यारोपी घटना में प्रयुक्त दो पिस्टल, कारतूस, ऑल्टो कार सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2021 को वादी श्री आबाद पुत्र रियाज निवासी ग्राम दरियापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई थी कि उसके ताऊ का लड़का अनसार अहमद पुत्र निसार अहमद अपने घर के बाहर सड़क किनारे कैंटीन चलाता है। दिनांक 21.07.2021 को लगभग रात्रि 08:45 बजे लाल रंग की अल्टो कार से 03 लड़के आए और दुकान से बीड़ी-सिगरेट खरीदी जिसके पैसों को लेकर कहासुनी हो गई तथा कुछ देर बाद वही लड़के दो मोटर साइकिलों पर आए और आते ही अनसार के पिताजी निसार अहमद जो दुकान के बाहर बैठे थे, के सिर में बल्ला मार दिया एवं तंमचे से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। निसार अहमद के दूसरे लड़के अफसार द्वारा विरोध करने पर उसको भी तंमचे से गोली मारकर घायल कर दिया था। अफसार व उसके पिता निसार अहमद को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा दिनांक 23.07.2021 को एम्स ट्रॉमा सैन्टर दिल्ली में दौराने उपचार निसार अहमद की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-1501/2021 धारा 307,323 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। निसार अहमद की मृत्यु होने पर अभियोग में धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी थी।

उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्रीमती अरूणा राय को निर्देशित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक द्वारा गहनता से की गई विवेचना/कार्यवाही में उपरोक्त घटना में संलिप्त 04 अभियुक्त **1-पंकज बाल्मिकी पुत्र मुकेश कुमार, 2-अमित बाल्मिकी पुत्र मुकेश कुमार निवासीगण खैरली थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर, 3-रिक्की उर्फ आकाश पुत्र वीरेन्द्र उर्फ लीलू निवासी चिंडावली थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर व 4-अभि उर्फ भूरा भाटी पुत्र महेश निवासी राजपुर कलां थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर** के नाम प्रकाश में आये।

आज दिनांक 29.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्रीमती अरूणा राय मय पुलिस फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर ब्रहमानन्द कट से घटना में संलिप्त उपरोक्त चारों अभियुक्तों को समय करीब प्रातः 09.20 बजे घटना में प्रयुक्त 02 पिस्टल, कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों द्वारा घटना करने के उपरान्त ऑल्टो कार को सिकन्द्राबाद निवासी रफीक कबाडी को बेचकर कटवा दिया गया था। पुलिस द्वारा ऑल्टो कार को कटी अवस्था में अभियुक्तों की निशादेही पर रफीक कबाडी की दुकान से बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार चारों अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर उपरोक्त घटना कारित करने में अपने अन्य 05 साथियों का शामिल होना भी बताया है जिनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-

1- पंकज बाल्मिकी पुत्र मुकेश कुमार निवासी खैरली थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर।
2- अमित बाल्मिकी पुत्र मुकेश कुमार निवासी उपरोक्त।
3- रिक्की उर्फ आकाश पुत्र वीरेन्द्र उर्फ लीलू निवासी चिंडावली थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर।
4- अभि उर्फ भूरा भाटी पुत्र महेश निवासी राजपुर कलां थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

1- एक आल्टो कार नं0 डीएल-9सीक्यूएस-0458 (कटी अवस्था में)
2- 02 पिस्टल .32 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस।

उपरोक्त घटना की विवेचना/कार्यवाही एवं पूछताछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों का 'बीड़ी-सिगरेट' के पैसे (20 रूपये) देने को लेकर मृतक निसार अहमद के कैन्टीन पर बैठे लडके अनसार से कहासुनी/विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर थोडी देर बाद गिरफ्तार चारों अभियुक्तगण अपने 05 अन्य साथियों के साथ पुनः मोटर साईकिल पर आये और घटना को अंजाम दिया गया था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- श्रीमती अरूणा राय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात
2- निरीक्षक श्री राजकिशोर
3- उ0नि0 श्री अखिलेश पाठक, उ0नि0 श्री उजेन्द्र सिंह
4- है0का0 माधव, का0 आशीष कुमार, का0 कुलदीप, का0 धर्मवीर, का0 नरेन्द्र, का0 सचिन कुमार, का0चालक अंकित कुमार।